150 YEARS OF CELEBRATING THE MAHATMA

राजस्थान सरकार
आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय
योजना भवन, तिलक मार्ग, जयपुर।

क्रमांक :–एफ 5(4)24/सम/सां.दि./डीईएस/2017–18/पार्ट–।।/1472 दिनांकः–07-06-2019

1. **समस्त अति. मुख्य सचिव**
2. **समस्त प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव**
3. **समस्त विभागाध्यक्ष**
4. **समस्त संभागीय आयुक्त**
5. **समस्त जिला कलक्टर, राजस्थान।**

विषयः –**राज्य स्तरीय प्रो. पी.सी. महालनोबिस सांख्यिकी अवार्ड–2019 हेतु प्रस्ताव आमंत्रित करने के संबंध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि विभाग द्वारा प्रख्यात वैज्ञानिक एवं सांख्यिकीयविद् प्रो. पी.सी. महालनोबिस के आर्थिक नियोजन एवं सांख्यिकी विकास के क्षेत्र में दिये योगदान के उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष की भांति उनके जन्म दिवस पर 29 जून, 2019 को 13वां सांख्यिकी दिवस मनाया जा रहा है।

सांख्यिकी दिवस के अवसर पर राज्य के विभिन्न विभागों/स्वायत्तशासी संस्थाओं/बोर्डो/निगमों में सांख्यिकीय क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों को **राज्य स्तरीय प्रो. पी.सी. महालनोबिस सांख्यिकी अवार्ड–2019** दिया जाना है। इस संबंध में कार्मिकों की योग्यताओं, अवार्ड की शर्तें एवं प्रक्रिया आदि के विस्तृत विवरण से संबंधित मार्गदर्शिका की प्रति संलग्न है।

अतः इस संबंध में अनुरोध है कि राज्य स्तरीय प्रो. पी.सी. महालनोबिस सांख्यिकी अवार्ड–2019 के लिये आपके अधीनस्थ विभागों/संस्थानों/बोर्डो/निगमों आदि में सांख्यिकीय क्षेत्र में उत्कृष्ठ कार्य करने वाले अधिकतम दो अधिकारियों/कर्मचारियो के प्रस्ताव निर्धारित प्रारूप में इस विभाग को दिनांक 15.06.2019 तक भिजवाये जाने की व्यवस्था करावें।

संलग्नः– आवेदन का प्रारूप एवं
मार्गदर्शिका

भवदीय

(डॉ. ओमप्रकाश बैरवा)
निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ सादर प्रेषित है –

1. विशिष्ठ सहायक, उपमुख्यमंत्री महोदय, सांख्यिकी विभाग, राजस्थान।
2. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान।

(कुलदीप भटनागर)
संयुक्त निदेशक (प्रशासन)

राज्य स्तरीय प्रो. पी.सी.महालनोबिस अवार्ड
वर्ष – 2019 हेतु आवेदन–पत्र

नवीनतम पासपोर्ट साईज फोटो

1. व्यक्तिगत सूचनाऐं :

क्र.सं.	वांछित सूचना	विवरण		
1	नाम			
2	वर्तमान में धारित पद व पद धारित करने का दिनांक			
3	वर्तमान वेतन व पे मेट्रिक्स लेवल			
4	जन्म तिथि			
5	सेवा संवर्ग का नाम (राजपत्रित/अराजपत्रित)			
6	सेवा में प्रथम कार्यग्रहण की तिथि			
7	कार्मिक का स्थाई पता			
8	कार्मिक की शैक्षणिक योग्यताऐं			
9	कार्मिक की EMP ID			
10	टेलिफोन/मोबाईल नं.			
11	कार्मिक द्वारा विगत 7 वर्षो के दौरान धारित पद एवं विभाग	पदनाम	विभाग	कार्यरत अवधि

2. **राज्य स्तरीय प्रो. पी. सी. महालनोबिस अवार्ड हेतु सांख्यिकीय क्षेत्र जिसके लिये आवेदन किया जा रहा है** (मार्गदर्शिका के दिशा–निर्देश के बिन्दु 02 के अनुसार) –

....

....

3. **कार्मिक द्वारा किये गये उत्कृष्ठ कार्य एवं विशेष उपलब्धियों का विवरण (आवश्यक दस्तावेज संलग्न करें)**

....

....

....

....

....

4. **कार्मिक को राजकीय सेवाकाल के दौरान पूर्व में प्राप्त पुरस्कार व अवार्डो का विवरण**

क्र.सं.	पुरस्कार व अवार्ड का स्तर	पुरस्कार व अवार्ड का विवरण	वर्ष
1			
2			

संलग्नकों का विवरण –

1.
2.

विभागाध्यक्ष/सक्षम अधिकारी के
हस्ताक्षर मय मोहर

1. **विभागीय जॉच विचाराधीन/दण्डित/भ्रष्टाचार एवं अन्य आपराधिक प्रकरणों में लिप्त, आरोपित व सजा प्राप्त नहीं होने का प्रमाण पत्र** (नियंत्रण अधिकारी/संबन्धित विभागाध्यक्ष)

   a) यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री ....पुत्र श्री .... जो कि इस विभाग में ....के पद पर दिनांक.....................से कार्यरत है। इनके विरूद्ध आज दिनांक को कोई विभागीय जांच लम्बित नहीं है तथा गत 7 वर्षो में इनको किसी विभागीय जांच में दोषी पाये जाने पर दण्डित नहीं किया गया है।

   b) यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री..को सेवाकाल के दौरान भ्रष्टाचार व अन्य आपराधिक प्रकरणों में लिप्त/ आरोपित नही किया गया है और न ही सजा प्राप्त है।

   c) यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री .... के कुल ....वर्ष के सेवाकाल के दौरान वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन अच्छा/बहुत अच्छा/उत्कृष्ठ श्रेणी के ही रहे है।

विभागाध्यक्ष के हस्ताक्षर मय मोहर

2. **विभागाध्यक्ष/प्रशासनिक सचिव द्वारा अग्रेषण टिप्पणी** (मय उल्लेखनीय कार्य विवरण)

....

....

....

....

....

विभागाध्यक्ष/प्रशासनिक सचिव
के हस्ताक्षर मय सील

राज्य स्तरीय प्रो. पी. सी. महालनोबिस सांख्यिकी अवार्ड–2019

प्राचीन काल से ही राज्य संबंधी कार्यो में सांख्यिकी का प्रयोग होता रहा है। तत्कालीन समय में सांख्यिकी का प्रयोग जन्म–मरण, उत्पादन, सेना एवं लगान संबंधी समंकों को संकलित करने में किया जाता था, लेकिन आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में सांख्यिकी का महत्व बढ़ा है। वर्तमान वैश्विक युग को यदि सांख्यिकी युग कहा जाए तो कोई अतिश्योक्ति नहीं होगी। शिक्षा के प्रत्येक क्षेत्र जैसे– वाणिज्य, अर्थशास्त्र, ज्योतिष विज्ञान, जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान तथा सामाजिक विज्ञान आदि में सांख्यिकी का प्रयोग व्यापक रूप से हो रहा है। सांख्यिकी ही एक ऐसा आधार है, जिसके द्वारा आर्थिक नियोजन एवं नीति निर्धारण ढांचे का निर्माण किया जा सकता है। शायद ही ऐसा कोई क्षेत्र होगा जहां सांख्यिकी का प्रयोग नहीं किया जाता होगा। सांख्यिकी प्रत्येक व्यक्ति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती है। **सांख्यिकीय समंकों के बिना नियोजन पतवार व दिशा सूचक यंत्र रहित जहाज की भांति होता है।**

वर्तमान में आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग द्वारा सकल घरेलू उत्पाद, औद्योगिक सांख्यिकी, आर्थिक गणना एवं सर्वेक्षण, मूल्य सांख्यिकी, कृषि सांख्यिकी, मुख्यमंत्री ई–ग्राम परियोजना, जीवनांक सांख्यिकी, जन्म–मृत्यु एवं विवाह पंजीयन, डेटा प्रोसेसिंग एवं इन्फोरमेशन टेक्नोलॉजी तथा राज्य स्तरीय महत्वपूर्ण प्रकाशन यथा – आर्थिक समीक्षा, सम फैक्टस् अबाऊट राजस्थान, सांख्यिकीय सार इत्यादि कार्यों को सम्पादित किया जाकर राज्य के नीति निर्धारण एवं विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया जा रहा है।

प्रो. प्रशांत चंद्र महालनोबिस एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक एवं सांख्यिकीयविद् थे। इनका जन्म 29 जून 1893 को हुआ था। प्रो. महालनोबिस द्वारा दूसरी पंचवर्षीय योजना का मसौदा तैयार किया गया एवं कोलकता में **"भारतीय सांख्यिकीय संस्थान"** की स्थापना की गई थी। इनको **"भारतीय सांख्यिकीय तंत्र"** का जनक भी कहा जाता है। आर्थिक नियोजन एवं सांख्यिकीय विकास के क्षेत्र में प्रो. प्रशान्त चंद्र महालनोबिस के उल्लेखनीय योगदान के सम्मान में भारत सरकार द्वारा वर्ष 2007 से उनके जन्म दिवस 29 जून को प्रतिवर्ष **"सांख्यिकी दिवस"** के रूप में मनाया जा रहा है।

राज्य सरकार राज्य के चहुँमुखी सामाजिक एवं आर्थिक विकास के लिए प्रतिबद्ध है। इसलिए सरकार को सामाजिक एवं आर्थिक विकास के लिए नीति/योजना बनाते समय उस क्षेत्र विशेष से सम्बन्धित समंकों यथा जनसंख्या, स्वास्थ्य, शिक्षा, औद्योगिक परिवेश, जलवायु, भौगोलिक एवं आधारभूत संरचना इत्यादि सूचनाओं की आवश्यकता रहती है, जोकि समय–समय पर आवश्यकतानुसार सांख्यिकीय कार्मिकों द्वारा राज्य सरकार को उपलब्ध करवायी जाती है। वर्तमान संदर्भ में सांख्यिकी का उपयोग केवल समंकों के संकलन तक ही सीमित न हो कर, सांख्यिकीय तकनीकों के माध्यम से विश्लेषण एवं प्रमाणिक निष्कर्ष एवं समस्याओं के निवारण के लिए भी किया जाता है।

राज्य में सांख्यिकीय गतिविधियों एवं सेवाओं के निष्पादन हेतु वर्ष 1956 में आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय की स्थापना की गई। राज्य, जिला एवं ब्लॉक स्तर पर विभिन्न विभागों एवं आर्थिक एवं सांख्यिकी के अधीनस्थ कार्यालयों में राजस्थान आर्थिक एवं सांख्यिकी राज्य सेवा एवं अधीनस्थ सेवा के कार्मिक कार्यरत है। कुछ विभागों, जिनमें सांख्यिकी सेवा के पद सृजित नही है, उनमें संबन्धित विभाग के अधिकारियों के द्वारा सांख्यिकीय के सृजन, विश्लेषण व प्रकाशन का कार्य किया जा रहा है। विभिन्न विभागों में कार्यरत कार्मिकों द्वारा राज्य के बजट (आय–व्यय विवरण) का निर्माण करने, राज्य सरकार द्वारा संचालित विभिन्न महत्वपूर्ण योजनाओं के निर्माण एवं क्रियान्वयन के साथ–साथ राज्य के सामाजिक–आर्थिक विकास परिदृश्य के आंकलन हेतु आवश्यक समंकों के संकलन एवं विश्लेषण करने में महत्वपूर्ण भूमिकाओं का निर्वहन किया जा रहा है। राज्य के विभिन्न विभागों/स्वायत्तशासी संस्थाओं/बोर्डों/निगमों के कार्मिकों द्वारा राज्य एवं लोक–कल्याण हित के कार्यों में सांख्यिकीय तकनीकों का उल्लेखनीय उपयोग एवं सांख्यिकीय क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले कार्मिकों के उत्साहवर्द्धन हेतु राज्य स्तर पर **"प्रतिवर्ष सांख्यिकी दिवस 29 जून" को** राज्य स्तरीय **"प्रो. पी.सी. महालनोबिस सांख्यिकी अवार्ड"** से सम्मानित किया जाता है, जिससे कार्मिकों के मनोबल में हुये उत्साहवर्द्धन से उनकी कार्य कुशलताओं, क्षमतों एवं ज्ञान का राज्य हित में अधिकतम उपयोग किया जा सके।

राज्य स्तरीय प्रो. पी.सी. महालनोबिस सांख्यिकी अवार्ड से सम्बन्धित दिशा–निर्देश निम्नानुसार हैः–

1. प्रतिवर्ष 'सांख्यिकी दिवस 29 जून' के अवसर पर **अवार्ड/पुरस्कार** सांख्यिकीय क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्यो के लिये प्रदान किये जाते है, जिससे राज्य में सांख्यिकीय तंत्र को सुदृढ़ करने के साथ–साथ इसके प्रचार–प्रसार व उपयोग को बढ़ावा मिल सकेगा। साथ ही नीति–निर्धारण व विकेन्द्रीकृत योजना निर्माण में सांख्यिकी को प्रवृत किया जा सकेगा।
2. **पुरस्कार हेतु सांख्यिकीय क्षेत्र** – प्रो. पी.सी. महालनोबिस सांख्यिकी अवार्ड निम्नलिखित सांख्यिकीय क्षेत्रों में किये गये उल्लेखनीय कार्यों के लिए प्रदान किये जायेगें :–

   i. जनगणना, आर्थिक गणना, कृषि गणना, पशुगणना आदि तथा अन्य एड्हॉक सांख्यिकीय सर्वेक्षण।
   ii. वार्षिक औद्योगिक सर्वेक्षण, बिजनेस रजिस्टर, सांख्यिकीय सर्वेक्षण यथा एन.एस.एस., टी.आर.एस., फसल–कटाई प्रयोग सहित 20 मुख्य सांख्यिकीय क्षेत्रों में नवाचार/अभिनव प्रयोग।
   iii. सांख्यिकीय के सृजन, विश्लेषण एवं प्रदर्शन में सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार का प्रभावी उपयोग।
   iv. सांख्यिकीय विश्लेषण एवं विभागीय प्रकाशनों को क्रमोन्नत करने व विभागीय योजनाओं एवं कार्यों के प्रभावी निष्पादन में महत्वपूर्ण योगदान।

v. अर्थशास्त्र एवं सांख्यिकी के क्षेत्र में अनुकरणीय अध्ययन एवं शोध कार्यो व सांख्यिकी के प्रचार–प्रसार में उत्कृष्ट कार्य।

3. पुरस्कार हेतु आवेदन प्रक्रिया

i. प्रतिवर्ष राज्य सेवाओं एवं अधीनस्थ सेवाओं के कार्मिकों को सांख्यिकीय क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्यो के लिए **सांख्यिकी दिवस** के अवसर पर पुरस्कार हेतु चयन गत वित्तीय वर्षो में किये गये उल्लेखनीय कार्यों तथा उपलब्धियों के आधार पर किया जायेगा। इस संबंध में **प्रतिवर्ष माह मई–जून** के दौरान प्रस्ताव राज्य के विभिन्न विभागों के माध्यम से निर्धारित प्रपत्र में आमंत्रित किये जाते है, जिसके संबंध में पृथक से आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय द्वारा विभागीय वेबसाईट व पत्राचार के माध्यम से सूचित किया जावेगा।

ii. सांख्यिकीय कार्मिकों द्वारा किये गये उल्लेखनीय कार्यो एवं महत्वपूर्ण उपलब्धियों के संबंध में राज्य स्तरीय प्रो. पी.सी. महालनोबिस अवार्ड हेतु प्रस्ताव संबंधित विभागाध्यक्ष/प्रशासनिक सचिव/जिला कलक्टर द्वारा मय अग्रेषण टिप्पणी व आवश्यक दस्तावेजों सहित निर्धारित प्रपत्र में नियत तिथि तक निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव, आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय, योजना भवन, तिलक मार्ग, सी–स्कीम, जयपुर–302005 (राज.) को बन्द लिफाफे में प्रेषित किये जावेगें। लिफाफे पर "राज्य स्तरीय प्रो. पी.सी. महालनोबिस अवार्ड हेतु प्रस्ताव" अंकित किया जावें।

iii. अवार्ड हेतु प्रस्ताव 4 प्रतियों में शुद्ध टंकित प्रारूप में प्रेषित किये जावें।।

iv. अवार्ड प्रपत्र के सभी बिन्दुओं की प्रविष्टियां पूर्ण की जावें।

v. राजपत्रित व अराजपत्रित अधिकारियों/कर्मचारियों के प्रस्ताव अलग–अलग प्रेषित किये जावें।

vi. एक विभाग से अधिकतम एक राजपत्रित अधिकारी एवं एक अराजपत्रित कर्मचारी के प्रस्ताव अवार्ड हेतु प्रस्तावित किये जावें।

vii. प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत कार्मिकों के प्रस्ताव, संबंधित विभागीय प्रशासनिक सचिव के माध्यम से भेजे जावें।

viii. सांख्यिकीय सेवा के अतिरिक्त अन्य सेवा के अधिकारियों/कर्मचारियों के अंतिम 7 वर्ष के वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन संलग्न कर भिजवायें जावे। साथ ही विभागाध्यक्ष यह प्रमाण पत्र भी संलग्न करें कि कार्मिक के सेवाकाल के दौरान अन्य वर्षो के गोपनीय प्रतिवेदन भी अच्छा/बहुत अच्छा/उत्कृष्ठ श्रेणी के रहे है।

4. **चयन प्रक्रिया** – सांख्यिकीय क्षेत्र में किये गये उल्लेखनीय कार्यों के लिए प्रतिवर्ष अवार्ड हेतु आवेदन संबंधी प्रस्ताव संबंधित विभागाध्यक्ष/प्रशासनिक सचिव/जिला कलक्टर द्वारा निर्धारित अवधि में आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय को भिजवाये जायेगें। अवार्ड वितरण हेतु गठित समिति द्वारा निर्धारित अवधि तक प्राप्त प्रस्तावों/आवेदनों की संवीक्षा, परीक्षण एवं अनुशंसा उपरान्त प्रभारी मंत्री, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग के अनुमोदन पर अवार्ड हेतु कार्मिकों का चयन किया जावेगा।

5. पुरस्कार चयन हेतु पात्रता –

1. यह पुरस्कार राजस्थान की राज्य सेवाओं एवं अधीनस्थ सेवाओं तथा स्वायत्तशासी संस्थाओं/बोर्डों/निगमों के कार्मिकों, जो कि सांख्यिकीय क्षेत्र में कार्य कर रहे है, को प्रदान किया जावेगा।
2. कार्मिक कम से कम 7 वर्ष की नियमित राजकीय सेवा पूर्ण कर चुका हो।
3. कार्मिक के गत 7 वर्ष की कार्य अवधि में से 5 वर्ष के वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन उत्कृष्ठ अथवा बहुत अच्छा श्रेणी के होने चाहिए।
4. ऐसे कार्मिक, जिनके विरूद्ध विभागीय जांच विचाराधीन है अथवा गत पांच वर्षो में विभागीय जांच में दण्ड़ प्राप्त हुआ है, पुरस्कार के लिये अपात्र होगें।
5. भ्रष्टाचार एवं अन्य आपराधिक प्रकरणों में लिप्त, आरोपित व सजा प्राप्त कार्मिक को पुरस्कार हेतु योग्य नहीं माना जावेगा।
6. किसी अधिकारी/कर्मचारी को राज्य सेवा में रहते हुये एक बार प्रो. पी.सी. महालनोबिस अवार्ड प्राप्त करने के पश्चात् उस कार्मिक के प्रस्ताव पुनः इस अवार्ड के लिये नही भेजें तथा प्रस्ताव भेजते समय यह भी प्रमाणित करें कि कार्मिक कों पूर्व में इस अवार्ड से सम्मानित नही किया गया है।
7. पुरस्कार हेतु प्रस्ताव अग्रेषित करते समय कार्मिक को अन्य राजकीय विभागों/संस्थाओं/प्राधिकारियों द्वारा प्रदत्त योग्यता प्रमाण पत्र/प्रशस्ति पत्र/पुरस्कार आदि का स्पष्ट उल्लेख कियॉ जावें।

****